



**Office of the District Basic Education Officer
KANPUR NAGAR**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **GULMOHAR,651 W BLOCK KESHAV NAGAR KANPUR NAGAR** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number allotted to GULMOHAR is **2020-21/29**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE **07-01-2022**(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type **Old**

4.School Type **Pre-Primary School and Primary School**

5.Recognition No.

DATE:- 07-01-2022

PLACE:- KANPUR NAGAR

District Basic Education Officer

Digitally signed by PAWAN KUMAR
Date: 2022.01.07 15:31:57
Reason: For Digital Signature
Location: KANPUR NAGAR

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक: प्रा0मान्यता-अंग्रेजी माध्यम /26863-71 /2020-21 दिनांक: 08.01.2021

प्रबंधक,

गुलमोहर


651 डब्लू ब्लॉक केशव नगर कानपुर नगर।


विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम -2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या -196/अरसठ-3-2020-2041 /2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 29 जून -2020 में निर्दिष्ट निर्देशों /कार्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और जाँच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में जनपदीय मान्यता समिति कानपुर नगर की बैठक दिनांक 08.01.2021 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं, गुलमोही, 651 डब्लू ब्लॉक केशव नगर कानपुर नगर को शिक्षा सत्र 2021-22 से एक शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:-

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय कक्षा-1 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4-पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5-सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यालय में शिक्षणकार्य टी0ई0टी0उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाय।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 के अधीन विनिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।


Principal
GULMOHAR
651, W-Block, Keshav Nagar,
KANPUR



GULMOHAR
651 W-Block, Keshav Nagar,
KANPUR
MANAGER
कमशः 2 पर

(2)

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्धियों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-

क्र०सं०	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8433 वर्गमीटर
2	कुल निर्मित क्षेत्र	6077 वर्गमीटर
3	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	2356 वर्गमीटर
4	कक्षाओं की संख्या	5
5	प्रध्यापक -सह कार्यालय- सह भण्डारागार के लिये कक्ष	3
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	10/10
7	पेय जल सुविधा	सब मर्सिबल
8	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच है।
9	अध्यापक पढ़न सामग्री/क्रीडा खेल-कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।


- 9-विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षयें नहीं चलाई जायेगी।
10-विद्यालयमवन या संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोगकेवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण,नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रा0मा0-अंग्रेजी माध्यम-2020-21/29... है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17-प्रबन्धाधिकारण द्वारा यदि कोई तथ्य गोपन किया जाना पाया गया तो विभागीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।


डा०पवन कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पू०सं०/प्रा०मान्यता-अंग्रेजी माध्यम/26863-71 /2020-21 तददिनांक।


प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक (बे०) उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
- 2- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।
- 5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर क्षेत्र) कानपुर नगर।
- 6- कार्यालय प्रति।


Principal
GULMOHAR
651, W-Block, Keshav Nagar,
KANPUR

GULMOHAR

MANAGER
651, W-Block, Keshav Nagar,
KANPUR


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

कार्यालय—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक-/प्र0श्रे0लि0-4/

29551-59

/2020-21

दिनांक: 27.2.21

प्रबन्धक,

गुलमोहर स्कूल,

प्लॉट न0-651, डब्ल्यू-ब्लॉक, केशवनगर, कानपुर नगर।

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं0-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 में निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 25-02-2021 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं गुलमोहर स्कूल, प्लॉट न0-651, डब्ल्यू-ब्लॉक, केशवनगर, कानपुर नगर को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिये अंग्रेजी माध्यम औपबन्धिक (अस्थाई) मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है—

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4-पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5-सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - VI. अध्यापकों की मर्ती अधिनियम की धारा-23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं—

क्र0सं0	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8433 वर्ग मीटर
2	कुल निर्मित क्षेत्र	6077 वर्ग मीटर
3	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	-
4	कक्षाओं की संख्या	5
5	प्रधानाध्यापक -सह कार्यालय- सह भण्डारागार के लिये कक्ष	2
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेय जल सुविधा	सबमसिंबल पम्प उपलब्ध है।
8	शौचा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पढ़न सामग्री/क्रीडा खेल-कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

Principal
GULMOHAR
651, W-Block, Keshav Nagar,
KANPUR

GULMOHAR

MANAGER

- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू0हा0 स्कूल-अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम/2020-21/ 04 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(डा० पवन कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पृ०सं०/प्र०श्रे०लि०-4/

/2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक (बे०)उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
- 2- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०)कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 5- अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 6- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 7- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 8- कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

Anita Singh
Principal
GULMOHAR
651, W-Block, Keshav Nagar,
KANPUR

GULMOHAR
Rohit Jaiswal
MANAGER

Principal
GULMOHAR
651, W-Block, Keshav Nagar,
KANPUR